दिनांक 30-9-91

सेवा में :-

प्रबंधक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
पटना।

(द्वारा : कोषपाल)

महाशय,

संदर्भ : नि.वि. पटना 1261/मुद्रा 12/91-92
दिनांक 5-9-91.

उपर्युक्त संदर्भ में निवेदन है कि मैं पूरी निष्ठा तथा मनोयोग-पूर्वक अपना कार्य नियमतया करता हूँ। दिनांक 18-2-91 को नकदी अनुभाग 'जी' (जिसमें मैं कार्यरत था) में परीक्षण के लिए आए नोटों की स्थिति सामान्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक ही खराब थी। वे गंदे तथा चिपकनेवाले थे, जिसके कारण उस प्रकार की गलती हो गई। ऐसे मैं अपने कार्य में कभी लापरवाही नहीं दर्शाता हूँ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आग्रह है कि मेरे स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मेरे विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ न की जाए। एतदर्थ आभारी रहूँगा।

भवदीय
देवेन्द्र प्र तिवारी
(देवेन्द्र प्रसाद तिवारी)
(स. से. श्रेणी II

तार : "रिजर्विस्ट"
TELEGRAMS : "RESERVIST"

भारतीय रिजर्व बैंक
पटना—800 001
RESERVE BANK OF INDIA
PATNA—800 001

पोस्ट बैग न० 162
POST BAG No. 162

Manager's Section

टेलिफोन पी. बी. एक्स. नं० 55851, 55908
Telephone PBX No. 55765, 55712
55513, 55569
55612, 55663
55816, 55958

कृपया पत्रोत्तर में उद्धृत करें
Please quote in reply :—

संदर्भ सं० : Ref. No. MGR/3757/22(2)-91/92 11th February, 1992
22nd Magha, 1913 (शक) (Saka)

Shri Devendra Prasad Tiwary
Common Cadre Grade II
Cash Department
Reserve Bank of India
PATNA.

(Through; the Cy.Officer, Issue Department, RBI, Patna)

Dear Sir,

Charge-sheet

You are informed that the charges as set out in para 3 herein have been framed against you under the circumstances mentioned in para 2 below.

2. In course of verification on 2nd April 1991 of cancelled notes, three pieces of Rs.5/- notes were found excess in a packet of Rs.5/- denomination bearing seal No.P-NS dated 18th February 1991 examined by you. Apparently, you performed your duties in a perfunctory manner.

3. You are, therefore, charged with :

i) having displayed negligence in the discharge of your duties in the Bank; and

ii) having acted in a manner detrimental to the interests of the Bank.

4. This charge-sheet is accordingly being issued to you under Regulation 47 of the Reserve Bank of India(Staff) Regulations, 1948.

5. You are called upon to answer the above charges in writing, or in person, in which case your defence will be taken down in writing and read out to you. Any defence which you may wish to proffer including a list of witnesses, you may wish to produce, should be submitted alongwith your reply to the charges to Manager's (Disc.) Section on or before 20th February, 1992.

Yours faithfully,

(J.R. GUHA)
MANAGER

Prelunch.

18.2.91

कि.मी.- B 8/-

14 16

Table No. I

Seal - P. NS

gr. I - गगन सिंह

gr. II - 1 श्रीमती पुष्पा कुमार

2 " राधा अग्रवाल(?)

3 " गोपाल अग्रवाल

4 " विश्वजीत गोरिया

5 " देवेन्द्र प्र० तिवारी

6 " शिवकुमार सिंह

7 " रतन कु० अग्रवाल

(3x5 sheet detected)

M.C.S Book

Reading started at (Prelunch) - 11.35 AM
ended at - 12.00 AM

(ISSUE DEPARTMENT MANUAL)

CHAPTER III

Para 72 . . . . Immediately on receipt of the notes from the Group Supervisor the note examiner will count and verifiy the number of pieces in each packet. He will thereafter open the packets one by one, examine the notes individually in the manner stated in paragraph 25 of this chapter and sort them into issuables and non-issuables which will be made xx into separate packets and labelled in the prescribed manner vide paragraph 32 ibid . . . . The note examiner will thereafter receive for recounting the notes examined by any other member of the group which will be issued to him by the Group Supervisor. Any discrepancy detected during the course of recounting should be reported to the Group Supervisor.

18-2-92

Postlunch Started 1.30 P.M. / ended 2.20 P.M.

Punching Register

Table No. 2

1 श्री भगवान लाल दास
2 " मान बहादुर लहरी
3 " बी. के. दास प्रसाद
4 " हीरालाल प्रसाद
5 " [illegible] सिंह
6 " जगदेव प्र० सिंह
7 " परिमल किशोर चौधरी

Table No. 3

1 श्री अनिल कुमार
2 " पंकज कुमार सिन्हा
3 " मुरली कुमार द्विवेदी
4 " रामचन्द्र नाथ दास
5 " सत्येन्द्र चन्द्र श्रीवास्तव
6 " प्रभात चन्द्र
7 " कौशल नारायण ठाकुर.

Register
- CD-54
- CD 4(A)
- Indent Register
- Day book
- Chest Vault Register

} See & showing conditions of the notes.

- 18.2.91 - Fair.
- Responsibility of recounter.

- Indent for Notes from Vault - CD 4(A)
- Daily Account of Notes Received for examn - CD 54
- Notes sent to Agra
- Examiners' irregularities Register

20.2.1992

The Manager,
Reserve Bank of India
Patna.
(Through, the Treasurer)
Dear Sir,

With reference to the Chargesheet no. MGR/3757/22(2).91/92 dated 11th February 1992 I have to submit that the notes given for examination on 18th February 1991 were excessively soiled and sticky as a result of which inspite of all care and diligence on my part the irregularity occurred. I neither discharged my duties negligently nor acted in a manner detrimental to the interests of the Bank.

In the light of these submissions the charges may kindly be dropped. If the charges are persisted with, defence, including list of witnesses etc will be submitted at the appropriate time in due course.

Yours faithfully,
Devendra. Pd. Tiwary
[DEVENDRA PD. TIWARY]
CCgr II, Sec E,
Cash Deptt

Rg 20/2

तार : "रिजर्विस्ट"
TELEGRAMS : "RESERVIST"

भारतीय रिज़र्व बैंक
पटना—800 001

RESERVE BANK OF INDIA
PATNA—800 001

पोस्ट बेग नं० 162
POST BAG No. 162

प्रबंधक अनुभाग

टेलिफोन पी. बी. एक्स. नं० / Telephone PBX No. 55851, 55908, 55765, 55712, 55513, 55569, 55612, 55663, 55816, 55958

कृपया पत्रोत्तर में उद्धृत करें
Please quote in reply :—

संदर्भ सं० : Ref. No. ______

9 मार्च 19 92
19 फाल्गुन 19 13 (शक) (Saka)

कार्यालय आदेश संख्या: 276

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी ।। एवं श्री शिव पूजन सिंह, सिक्का-मुद्रा परीक्षक श्रेणी ।। को निर्गत दिनांक ।। फरवरी 1992 के आरोप पत्र संख्या क्रमश: एमजीआर/3757/22।2।-91/92 एवं एमजीआर/3756/22।2।-91/92 के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक ।स्टाफ। विनियमावली 1948 के विनियम 47 के अंतर्गत पारिणामिक जाँच और उससे संबंधित क्रियाविधि का कार्य अंतिम आदेशों को छोड़कर, उक्त विनियम के उप विनियम ।3। के अनुसार एतद्द्वारा श्री ललित श्रीवास्तव, बैंकिंग अधिकारी, बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग को सौंपा जाता है ।

2. श्री डी.पी. सिन्हा, सहायक कोषपाल, नकदी विभाग को उक्त मामले में दिनांक 21 जुलाई 1976 के प्रशासन परिपत्र सं. 2 के अनुसार प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

ह0/-
। अ0 क0 सिद्दीकी ।
प्रबंधक

उक्त दिनांक का परांकन संख्या एमजीआर/4167/22।2।-91/92
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :

1. श्री ललित श्रीवास्तव, बैंकिंग अधिकारी, बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना ।जाँच अधिकारी। को संयुक्त मुख्य अधिकारी, बैं.प. एवं वि. विभाग, भा. रि. बैंक, पटना के माध्यम से । उक्त आरोप पत्र की एक प्रति संलग्न है ।
2. श्री डी.पी. सिन्हा, सहायक कोषपाल, नकदी विभाग, भा. रि. बैंक, पटना ।प्रस्तुतकर्ता अधिकारी। को कोषपाल, नकदी विभाग, भा. रि. बैंक, पटना के माध्यम से !
3. सर्वश्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी ।। एवं श्री शिव पूजन सिंह, सिक्का-मुद्रा परीक्षक श्रेणी ।।, नकदी विभाग, भा. रि. बैंक, पटना को कोषपाल, नकदी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के माध्यम से ।

। एम0 एन0 सिंह ।
कार्मिक अधिकारी

अनु: यथोपरि

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है ।

तार : "रिज़र्विस्ट"
TELEGRAMS : "RESERVIST"

भारतीय रिज़र्व बैंक
पटना—800 001
RESERVE BANK OF INDIA
PATNA—800 001

पोस्ट बैग न० 162
POST BAG No. 162

प्रबंधक अनुभाग

टेलिफोन पी. बी. एक्स. नं० / Telephone PBX No. 55851, 55908, 55765, 55712, 55513, 55569, 55612, 55663, 55816, 55958

कृपया पत्रोत्तर में उद्धृत करें
Please quote in reply :—

संदर्भ सं० : Ref. No. एमजीआर/5407/22[2]-91/92

29 मई 1992
8 ज्येष्ठ 1914 (शक) (Saka)

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी
सामान्य संवर्ग श्रेणी II
नकदी विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
पटना।

[द्वारा: कोषपाल, नकदी विभाग, भा. रि.बैंक, पटना]

प्रिय महोदय,

इस कार्यालय के दिनांक 11 फरवरी 1992 के आरोप पत्र संख्या एमजीआर/ 3757 /22[2]-91/92 द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक [स्टाफ] विनियमावली, 1948 के विनियम 47 के अंतर्गत जांच का कार्य सौंपा गया है दिनांक 10 जून 1992 को पूर्वाह्न 11.00 बजे उप मुख्य अधिकारी, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के कक्ष में जांच करेंगे। आप निर्धारित तिथि एवं समय पर जांच के समक्ष उपस्थित हों। यदि आप चाहें तो अपना बचाव स्वयं अथवा रिजर्व बैंक कर्मचारियों के किसी निबंधित ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि के माध्यम से कर सकते हैं। बादवाली स्थिति में आप प्रतिनिधि का नाम दिनांक 9 जून 1992 तक प्रस्तुत कर दें और उसके साथ संबंधित यूनियन से इस आशय का एक पत्र प्रस्तुत करें कि नामित व्यक्ति को आपके प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। आपको एक लिखित बयान भी देना चाहिए कि आप उस प्रतिनिधि को अपनी ओर से जांच में उपस्थित होने के लिये मनोनीत करते हैं तथा उन सभी बातों से आप बाध्य होंगे जो ये प्रतिनिधि कहेंगे, करेंगे एवं हस्ताक्षर करेंगे। साक्षियों की सूची, यदि कोई हो, एवं जिन्हें आप जांच में प्रस्तुत करना चाहें दिनांक 9 जून 1992 तक प्रस्तुत कर दें।

भवदीय

ललित श्रीवास्तव
[ललित श्रीवास्तव]
जांच अधिकारी

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

9.6.1992

प्रबंधक,

भारतीय रिजर्व बैंक,

पटना

(द्वारा कोषपाल, नकदी विभाग)

महोदय,

आपके पत्र सं. एम.जी.आर./5407/22(7)-91/92 दिनांक 28 मई 1992 के संदर्भ में मैं अपने प्रतिनिधि के रूप में अधोलिखित व्यक्ति को मनोनीत करता हूँ। इस जाँच में जो बातें ये कहेंगे, करेंगे एवं हस्ताक्षर करेंगे उनसे मैं बाध्य रहूँगा। इस जाँच के लिए रिजर्व बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनियुक्ति पत्र संलग्न है। साक्षियों की सूची, आवश्यकतानुसार, जाँच के दौरान प्रस्तुत की जाएगी।

भवदीय,

देवेन्द्र प्र. तिवारी

देवेन्द्र प्र. तिवारी

सा.सं. श्रेणी II

1. श्री अरुण कुमार ओझा
2. श्री आनन्द कुमार सिंह

9/6/92

प्रतिलिपि

रिजर्व बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, पटना।

Registration No. 2411
Phone : 223429

रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन, पटना

Reserve Bank Workers' Organisation, Patna

(AFFILIATED TO AIRBWO, NOBW & BMS)

B. M. S.

Office : 6/22, 'R' Block, Patna-800 001

Ref. ....

Dated 9.6.1992

प्रबंधक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
पटना

महोदय,

श्री देवेन्द्र प्र० तिवारी, सा० स० श्रेणी II, जो रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, के विरुद्ध पत्र सं० 3757/22(2)-91/92 दिनांक 11.2.1992 द्वारा लगाये गये आरोप के जाँच में श्री तिवारी के अनुरोध पर अधोलिखित व्यक्ति को उनके प्रतिनिधि के रूप में आर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है। जाँच में भाग लेने के लिए उनको सामान्य कार्य से मुक्त किया जाए।

1. श्री अरुण कुमार ओझा
2. श्री आनन्द कुमार सिंह

भवदीय,

महासचिव

ा देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-।। के विरूद्ध आरोप-पत्र संख्या एमजीआर.3757/22।2।-9।-92 दिनांक 11.2.92 द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में दिनांक 10.6.92 को हुई जाँच की कार्यवाही.

समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न
स्थान- डीसीओ चेम्बर, डीबीओडी, भा. रि. बैं, पटना

श्री ललित श्रीवास्तव	-	जाँच अधिकारी	-	जाँ.अ.
" डी.पी. सिन्हा	-	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	-	प्र.अ.
" अरूण कुमार ओझा	-	बचाव प्रतिनिधि	-	ब.प्र.
" देवेन्द्र प्रसाद तिवारी	-	आरोपित कर्मचारी	-	आ.क.

...

जाँ.अ. - जाँच से संबंधित सभी लोग उपस्थित है अत: अब जाँच की कारवाई शुरू की जाती है ।

जाँ.अ., आ.क. से - सर्वप्रथम आप अपना परिचय दें ।
आपका नाम क्या है ?

आ.क. - मेरा नाम देवेन्द्र प्रसाद तिवारी है ।

जाँ.अ. - आप बैंक में किस विभाग में काम करते हैं.

आ.क. - मैं बैंक के नकदी विभाग में काम करता हूँ.

जा.अ. - आप दिनांक ~~2.4.91~~ 18.2.91 को किस विभाग में काम कर रहे थे ?

आ.क. - दिनांक ~~2.4.91~~ 18.2.91 को अनुभाग "जी" में काम कर रहा था.

जाँ.अ. - आपको पत्र सं. एमजीआर.3757/22।2।-9।-92 दिनांक 11.2.92 के तहत एक चार्ज-शीट दी गयी थी क्या आपको मिली है ?

आ.क. - जी हाँ.

जाँ.अ. - अब मैं आपपर बैंक द्वारा गलाये गये आरोप को पढ़कर सुनता हूँ.
।आरोप-पत्र को पढ़कर सुनाया गया।
क्या आप इसे स्वीकार करते हैं ?

आ.क. - जी नहीं.

ब.प्र., जाँ.अ.से - ये सारे आरोप गलत एवं बेबुनियाद है ।

जाँ.अ., आ.क. से - आप अपने बचाव मे यदि कोई साक्ष्य की कॉपी या गवाह लाना चाहते हो तो उसके लिए आको एक लिखित पत्र दे दें।

ब.प्र. - जैसा कि आरोपित कर्मचारी ने पहले ही बताया कि यह आरोप पत्र इनको स्वीकार नहीं है तो यह आरोप-पत्र सिद्ध करने की जिम्मेदारी बैंक के ऊपर है। आरोपित कर्मचारी ने आरोप-पत्र के उत्तर में भी यह कहा है कि यह आरोप इन्हें स्वीकार नहीं है । आरोप पूर्णत: निराधार है अत: बैंक की जिम्मदारी है कि इस आरोप को सिद्ध करें । अगर आवश्यकता पड़ी तो बचाव पक्ष की ओर से कोई अभिलेख, साक्ष्य अथवा गवाह जाँच के दौरान प्रस्तुत किया जायेगा ।

जाँ.अ., प्र.अ.से - क्या आप इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे ।

प्र.अ. - मेरा अनुरोध है कि सी.डी.55 (एक्जामिनर डे बुक 18.2.91 "सेक्शन"जी" का वह रजिस्टर चाहिए जिसमें श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी ने काम किया और किसी रजिस्टर की जरूरत होगी तो मै बाद में अनुरोध करूंगा ।

ब.प्र. - यह बहुत आश्चर्य की बात है कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी जाँच अधिकारी से रजिस्टर, अभिलेख की मांग कर रहे है। यहाँ तो उन्हें स्वयं प्रस्तुत करना चाहिए था क्योंकि जाँच अधिकारी आरोपों की सत्यता अथवा असत्यता की जाँच के लिए बैठे हुए है न कि बैंक की ओर से आरोपों के पक्ष में कोई अभिलेख प्रस्तुत प्रxxxxकरने के लिए ।

जाँ.अ., प्र.अ.से - आप अपने अनुरोध के संबंध में एक लिखित पत्र हमें दें ।

प्र.अ. - मैं अभी लिखित पत्र दे रहा हूँ । मैने रजिस्टर के लिए इसलिए अनुरोध किया है कि जाँच अधिकारी महोदय संबंधित रजिस्टर के लिए उस विभाग से अनुरोध कर चूंकि जाँच का सारा कार्य जाँच अधिकारी के अधीन हो रहा है इसलिए उनसे अनुरोध करना उचित है ।

ब.प्र. - अगर जाँच अधिकारी से आरोपों के पक्ष में कोई अभिलेख जुटाने के लिए अनुरोध किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह जाँच निष्पक्ष नहीं होगी । जाँच अधिकारी महोदय से मेरा आग्रह है कि जाँच की कारवाई को निष्पक्ष बनाये रखने के लिए इस पूरी कारवाई मे वे निष्पक्ष बने रहे तथा अपनी ओर से कोई अभिरुचि न प्रगट करें ।

जाँ.अ. - जाँच से संबंधित सभी तथ्यों को सामने लाने के लिए जो भी अभिलेख या कागजात की आवश्यकता प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को पड़ती है उसको उन्हें उपलब्ध कराने मे कोई हर्ज नहीं है और इससे जाँच कारवाई की निष्पक्षता में कोई आँच नहीं आयेगी ।

जाँ.अ. - आज की जाँच कार्यवाई यहीं स्थगित की जाती है जाँच की अगली बैठक दिनांक 24.6.92 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निश्चित की जाती है ।

(ललित श्रीवास्तव)
जाँच अधिकारी

(डी.पी. सिन्हा)
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

(अरूण कुमार ओझा)
बचाव प्रतिनिधि

(देवेन्द्र प्रसाद तिवारी)
आरोपित कर्मचारी

टी.

श्री दैवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-।। के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 3757/22।21-91-92 दिनांक 11.2.92 द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में दिनांक 24.6.92 को हुई जाँच की कार्यवाही.

समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न
स्थान- डीसीओ चेम्बर, डीबीओडी, भा. रि. बैं, पटना

श्री ललित श्रीवास्तव	- जाँच अधिकारी	- जाँ. अ.
" डी. पी. सिन्हा	- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी-	प्र. अ.
" अरूण कुमार ओझा	- बचाव प्रतिनिधि	- ब. प्र.
" दैवेन्द्र प्रसाद तिवारी	- आरोपित कर्मचारी	- आ. क.

..

जाँ. अ. - जाँच से संबंधित सभी लोग उपस्थित है अतः अब जाँच की कारवाई शुरू की जाती है ।

जाँ. अ., प्र. अ. से - आप बैंक का केस प्रस्तुत करें ।

प्र. अ. - मैं जाँच अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि मुझे इस जाँच से संबंधित कुछ रजिस्टर और मैन्युअल प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाय ।

जाँ. अ. - इजाजत दी जाती है ।

प्र. अ. - मै परीक्षक टैनिक पुस्तिका सी. डी. 55 को प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें परीक्षकों को परीक्षण के लिए नोट वितरित किये जाते हैं । इस रजिस्टर के अनुसार श्री दैवेन्द्र प्रसाद तिवारी का सील पी-एन एस 18.2.91 को पूरे बैंक के नोट 1400x2रु. के और 1600x5रु. परीक्षण के लिए दिये गये थे ।
दूसरी रजिस्टर पंचींग सीडी 28 के अनुसार श्री तिवारी को दिये गये सभी नोट विरूपित।डीफेस्ड। किये गये । रजिस्टर के अनुसार अनुभाग मे पंचींग का काम।प्री-लंच। 11.35 मे शुरू किया गया जो 12.00 बजे समाप्त हो गया अब मैं आई. डी. मैन्युअल मे दर्शाये गये कार्य पद्धति की ओर जाँच अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा । इसके चैप्टर 3 पैरा 72 मे नोट एक्जामिनर से संबंधित पद्धित है जिसका केवल संबद्ध उद्धरण।रेलीभेंट पोरशन। मैं उद्धृत कर रहा हूँ ।

Immediately on receipt of the notes from the Group Supervisor, the note examiner will count and verify the number of pieces in each packet. He will thereafter open the packets one by one, examine the note/ individually in the manner stated in paragraph 25 of this chapter and sort them into issuables and non-issuables which will be made into separate packets and labelled in the prescribed manner vide paragraph 32 ibid.

- इस पैरा के अनुसार ग्रुप सुपरवाइजर से नोट प्राप्त करने के बाद परीक्षक को प्रत्येक पैकेट के पीसेस को काउंट करना है और उसके बाद एक-एक पैकेट को तोड़कर उसकी परीक्षा करनी और पुनः पैकेट बनाना है । जिससे स्पष्ट होता है कि दो बार कम-से-कम गिनना है जिससे कि कोई भूल न रह जाय । यहाँ इस केस मे ऐसा प्रतीत होता है कि मैन्युअल प्रोविजन के तहत काम नहीं किया गया इससे काम करने की लापरवाही हुई और बैंक के हित की हानी हुई ।

जाँ.अ. ब.प्र. से - अब आप अपने तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे ।

ब.प्र. - बचाव पक्ष की ओर से कुछ भी कहने के पूर्व में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से यह जानना चाहूँगा कि क्या उनकी ओर से और भी कोई साक्ष्य, अभिलेख अथवा गवाह जिसका उपयोग वे इस जाँच के दौरान करना चाहते हो, प्रस्तुत करेंगे अथवा उनकी ओर से सारा कार्य पूरा हो गया ।

प्र.अ. - ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ इतने रजिस्टर के अलावा और कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने जा रहा हूँ ।

ब.प्र. - जाँच की अगली तिथि को मै बचाव पक्ष की ओर से अपनी बातें कहूँगा । फिलहाॅल जाँच अधिकारी से मेरा निवेदन है कि अगली तिथि को 5 रु. का वह संबद्ध पैकेट मुझे दिखाने के लिए उपस्थित करवाने की कृपा करें ।

जाँ.अ. आ.क. से - वह पैकेट जिसमें अधिक पाया गया था क्या आपको दिखलाया गया था ?

आ.क. - जी हाँ.

जाँ.अ. - क्या आपको जाँच करने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें किसी तरह की छेड़-छाड़ की गई थी ।

आ.क. - पैकेट को बिना देखे मै यह नहीं कह सकता कि टेम्परींग था कि नहीं. ऐसा याद हमें नहीं है ।

जाँ.अ. - क्या जब वह पैकेट आपको दिखाया गया तो उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना आपने बैंक को दी ।

आ.क. - याद नहीं.

जाँ.अ. - आज की जाँच कार्यवाही यहीं स्थगित की जाती है । जाँच की अगली बैठक दिनांक 26.6.92 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निश्चित की जाती है ।

जाँच अधिकारी

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

बचाव प्रतिनिधि

आरोपित कर्मचारी Devendra. Pd. Tiwary 30.9.92

टी.

ॐ

दि. 25-6-92

सेवा में,

श्री ललित श्रीवास्तव,
जाँच अधिकारी,
भारतीय रिजर्व बैंक,
पटना।

महाशय,

विषय:- श्री देवेन्द्र प्र० तिवारी के विरुद्ध जाँच कार्यवाही।

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि श्री देवेन्द्र प्र० तिवारी सा.ले.कोटि II के विरुद्ध आरोप-पत्र सं० एम.पी.आर 3757/22(2)-91-92 दि. 11.3.92 द्वारा लगाए गए आरोप के संबंध में जो जाँच की कार्रवाई की जा रही है, उसमें बचाव पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निम्न अभिलेखों को देखने की आवश्यकता है, अतः आपसे अनुरोध है कि इन्हें उपलब्ध कराने की कृपा की जाए:-

(1) श्री तिवारी का लिखित ओ-5 पत्र
(2) इन्डेन्ट फॉर नोट्स फ्रॉम वॉल्ट रजिस्टर - सीडी 4(ए) (सेक्सन - 18.2.91)
(3) डेली एकाउन्ट ऑफ नोट्स रिसिव्ड फॉर एग्जामिनेशन रजिस्टर - सीडी 54 (सेक्सन - 18.2.91)
(4) नोट्स सेंट टू एसीओ पंजिका (सेक्सन - 18.2.91)
(5) एग्जामिनर वाइज इरेगुलरीटी रजिस्टर - सीडी 91

धन्यवाद,

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(अरुण कुमार ओझा)
बचाव प्रतिनिधि

Date of joing - 6.1.89

① Examinerwise Register of Irregularities. - CD 91
w.e.f. 1.3.1989

18.5.91	- 3x5 excess VS No. 58 dt. 2.4.91	— Date of examn 18.2.91	No history of advertent performing work.
7.1.92	- 1x5 Mutd. VS No. 246 dt. 26.11.91	- Date of examn 28.9.91	

② Packet of Rs 5/=

- Two Stickers
- Packet was broken and examn done separately of each and every piece.
- Packet was shown to the examiner on 3.4.91 — Excess was detected in the verifn section 2.4.91

③ CD-54 from 31.10.90 to 22.2.91
(Daily Account of Notes Received for Examination)
जांच के लिए प्राप्त नोटों का दैनिक लेखा

	1/-	Rs 2/-	5/-	10/-	20/	50/-	100/-
Neo Br. (Ex Rd.) -		2000	16000	17000	3000	1000	
Adding Br.	6400	—	4000	1000	1000	2000	7000
Neo Br (Fr. Rd.)							2000

6900

Br. of Baroda

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-।। के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या एमजीआर. 375722121-91-92 दिनांक 11.2.92 द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में दिनांक 26.6.92 को हुई जाँच की कार्यवाही.

समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न
स्थान- डीसीओ चेम्बेर, डीबीओडी, भा रि. बैं, पटना

श्री ललित श्रीवास्तव	-	जाँच अधिकारी	-	जाँ. अ.
" डी.पी. सिन्हा	-	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	-	प्र. अ.
" अरुण कुमार ओझा	-	बचाव प्रतिनिधि	-	ब. प्र.
" देवेन्द्र प्रसाद तिवारी	-	आरोपित कर्मचारी	-	आ. क.

...

जाँ. अ. - जाँच से संबंधित सभी लोग उपस्थित है अत: जाँच की कारवाई शुरू की जाती है ।

जाँ. अ., ब.प्र. से - बचाव प्रतिनिधि को 5/-रु. का वह संबंधित पैकेट, भी.5 संख्या 58 सी.डी. 91, सी.डी. 54 रजिस्टर जाँच के लिए उपलब्ध कराये गये । इस संबंध में आपको जो कहना हो कह सकते है ।

ब.प्र., आ.क. से - आपने भारतीय रिजर्व बैंक, पटना मे किस तिथि को योगदान किये थे ।

आ.क. - 6.1.1989 को ।

ब.प्र., ~~आ.क. से~~ जाँ.अ. - पैकेट भी.5 संख्या 58 तथा सीडी.91 को जाँच अधिकारी को दिखाया गया। पैकेट से यह स्पष्ट होता है इस पैकेट का स्टीच कई बार तोड़ा गया है । इससे यह स्पष्ट है कि परीक्षण अनुभाग में परीक्षक ने इस पैकेट को तोड़ कर निर्गम विभाग मैन्युअल मे उल्लेखित परीक्षण के प्रावधानों के अनुकूल नोटो की गणना की तथा परीक्षण किया है ।
सी.डी. 91 रजिस्टर तथा भी.5 संख्या 58 दिनांक 2.4.91 से यह स्पष्ट है कि बैंक की नौकरी में आने के बाद से लेकर अभीतक श्री तिवा के द्वारा दिनांक 18.2.91 को यह पहली गड़बड़ी हुई जिसमें कि नोटों की स्थिति खराब रहने के कारण 5/-रु. के पैकेट मे 3 नोट अधिक निकले । दिनांक 18.2.91 से पूर्व तथा आज की स्थिति मे उनसे और कोई गड़बड़ी नहीं पाई गयी । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि श्री तिवारी ने अपने काम मे लापरवाही नहीं बरतते है तथा निर्गम विभाग मैन्युअल मे वर्णित प्रावधानों के अनुकूल ही अपना कार्य संपादित करते हैं यद्यपि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों अथवा तर्कों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि श्री तिवारी ने अपने काम मे लापरव की है तथा बैंक को हानि पहुचाई है परन्तु फिर भी इनकी निर्दोषिता पुष्ट करने के लिए जाँच की अगली तिथि मे बचाव पक्ष की ओर से श्री विश्वजी गौंतिया, सामान्य संवर्ग श्रेणी-।। को बचाव गवाह के रूप में इस जाँच के समक्ष लाने के लिए मैं जाँच अधिकारी महोदय से

- निवेदन करता हूँ कि उन्हें जॉच के समक्ष बुलाने की अनुमति हमें दें । तथा उसी तिथि को मैं अन्य गवाहों की सूची तथा अगर आवश्यक हुआ तो अन्य साक्ष्य अथवा अभिलेख प्रस्तुत करूंगा ।

जॉ. अ. - आज की जॉच कारवाई यही स्थगित की जाती है। जॉच की अगली बैठक की सूचना बाद में संबंधित व्यक्तियों को दी जायेगी ।

ललित श्रीवास्तव
।ललित श्रीवास्तव।
जॉच अधिकारी

।डी. पी. सिन्हा।
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

।अरूण कुमार ओझा।
बचाव प्रतिनिधि

Devendra Pd. Tiwary
।देवेन्द्र प्रसाद तिवारी। 30.9.92
आरोपित कर्मचारी

दी.

Page No 31
Vol.

9.8.91 - 1x1 Short V_5 110
1x1 Excess V_5 111

12.9.91 - 1x1 Excess V_j 150 dt 22.8
2x Excess V_j 151 - 22.8.91

Of Tinery - 35

18.5.91 - 3x5 Excess
V_5 - 58 dt 2.4.91

7.1.91 1x5 Mudslabs
V_5 - 241

18.7.91

आनन्दा केंद्र 1000x1 . T. No. 1.

यू० कों केंद्र 20.000x11 / T. No 2 - 1400

T_3 - 6000

all cancelled

Table No - III

Gr. J.K. Sharma

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-।। के विरूद्ध आरोप-पत्र संख्या एमजीआर. 3757/22121-91-92 दिनांक 11.2.92 द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में दिनांक 30.9.92 को हुई जाँच की कार्यवाही.

समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न
स्थान - डीसीओ चेम्बर, डीबीओडी, भा. रि. बैं, पटना

श्री ललित श्रीवास्तव	-	जाँच अधिकारी	-	जाँ. अ.
" डी.पी.सिन्हा	-	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	-	प्र. अ.
" अरूण कुमार ओझा	-	बचाव प्रतिनिधि	-	ब. प्र.
" देवेन्द्र प्रसाद तिवारी	-	आरोपित कर्मचारी	-	आ. क.

..

जाँ. अ. - जाँच से संबंधित सभी लोग उपस्थित है अत: अब जाँच की कारवाई शुरू की जाती है ।

जाँ. अ., ब. प्र. से - दिनांक 26.6.92 को हुई जाँच कारवाई मे आपने श्री विश्वजीत गौंतिया को बचाव गवाह के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी थी, उसकी अनुमति दी जाती है ।

।श्री विश्वजीत गौंतिया, बचाव पक्ष के गवाह के रूप में जाँच के समक्ष उपस्थित हुए।

ब. प्र., ब. ग. से - सर्वप्रथम आप अपना परिचय दें । आपका नाम क्या है ?

ब. ग. - मेरा नाम विश्वजीत गौंतिया है ।

ब. प्र. - क्या आप दिनांक 18.2.92 को बैंक आये थे ?

ब. ग. - हाँ आये थे ।

ब. प्र. - उस दिन यानि 18.2.92 को आप बैंक में कहाँ कार्यरत्त थे ?

ब. ग. - नकदी विभाग के अनुभाग "जी" में कार्यरत्त था ।

ब. प्र. - क्या उसी दिन आपके साथ उस अनुभाग में श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी भी कार्यरत थे ?

ब. ग. - जी हाँ.

ब. प्र. - क्या आप दोनो लोग एक ही टेबुल पर काम कर रहे थे ।

ब. ग. - जी हाँ.

ब. प्र. - उस दिन उस अनुभाग मे परीक्षण के लिए आपको जो नोट आपके टेबुल पर दिये गये थे उनकी स्थिति कैसी थी ।

ब. ग. - अधिकांश नोट औसत दर्जे से खराब थे और चिपकने वाले थे ।

ब. प्र. - धन्यवाद गौंतिया जी । अब हमें आपसे कुछ नहीं पूछना है ।

जाँ. अ., प्र. अ. से - क्या आप बचाव पक्ष के गवाह का प्रतिपरीक्षण करना चाहेंगे ।

प्र. अ. - जी हाँ.

प्र. अ., ब. ग. से - श्री विश्वजीत गौंतिया जी आप बता सकते है कि उस दिन नोट कहाँ का था आपको कुछ याद है ?

ब. ग. - याद नहीं है ।

प्र. अ. - चेष्ट या लोकल बैंक का ?

ब.ग. - निश्चित तौर पर नहीं बता सकते हैं ?

प्र.अ. - लोकल बैंक और चेस्ट नोट के क्वालिटी मे कुछ अंतर होता है?

ब.ग. - चेस्ट नोट जो अनुभाग मे आता है वह कभी-कभी बैंक नोट की ही तरह होता है। लेकिन अधिकांश समय मे वह बहुत ही ज्यादा खराब चिकाऊ और कटा-फटा xxxxxxxx होता है। बैंक नोट जहाँ तक अनुभाग मे आने का प्रश्न है वह औसतन चेस्ट नोट की तुलना मे कुछ अच्छा होता है। लेकिन कभी-कभी लोकल बैंक मे आनेवाले नोट भी बहुत ही ज्यादा खराब रहाता है और ये विभेदीकरण करना बहुत ही मुश्किल होता है कि बैंक नोट है या चेस्ट नोट ।

जाँ.अ., ब.प्र.से - क्या आपको और कोई गवाह तो प्रस्तुत नहीं करना है ।

ब.प्र. - मुझे श्री तिवारी की निर्दोषिता को सिद्ध करने के लिए अन्य किसी गवाह या साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं करना है । अब मैं अभी तक की हुई जाँच कारवाई को सारांश में प्रस्तुत करूंगा ।

जाँ.अ., प्र.अ.से - इस जाँच की अगली बैठक दिनांक 14.10.92 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निश्चित की जाती है उस दिन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अपने पक्ष का सारांश प्रस्तुत करेंगे ।

ललित श्रीवास्तव
(ललित श्रीवास्तव)
जाँच अधिकारी

(डी.पी. सिन्हा)
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

(अरूण कुमार ओझा)
बचाव प्रतिनिधि

(विश्वजीत गौंतिया)
बचाव गवाह.

(देवेन्द्र प्रसाद तिवारी)
आरोपित कर्मचारी

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-।। के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या एमजीआर 3707/22121-91-92 दिनांक 11.2.92 द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में दिनांक 14.10.92 को हुई जाँच की कार्यवाही.

समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न
स्थान - डीसीओ चेम्बर, डीसीओडी, भा. रि. बैं, पटना

श्री ललित श्रीवास्तव	-	जाँच अधिकारी	-	जाँ. अ.
" डी.पी. सिन्हा	-	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	-	प्र. अ.
" अरुण कुमार ओझा	-	~~xxxxxxxxxx~~ बचाव प्रतिनिधि	-	ब. प्र.
" देवेन्द्र प्रसाद तिवारी	-	आरोपित कर्मचारी	-	आ. क.

...

जाँ. अ. - जाँच से संबंधित सभी लोग उपस्थित है अत: अब जाँच की कारवाई शुरू की जाती है । पिछली बैठक मे यह तय हुआ था कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अपना सारांश प्रस्तुत करेंगे । अत: उनसे आग्रह है कि वे अपना सारांश आज प्रस्तुत करें ।

प्र. अ. - इस केस को प्रस्तुत करते समय मैंने जाँच अधिकारी के समक्ष सी. डी. 55 ।एक्जामिनर डे बुक। प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी ने 18.2.91 को यूको बैंक, पटना का 1400x2 और 100x5 नोट का परीक्षण किया था उसी समय मैंने आई. डी. मैन्युअल के चेप्टर ।।। के पैरा 72 का~~र्य~~ उल्लिखित संबंधित उद्धरण भी जाँच अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार नोट की प्राप्ति के तुरंत बाद नोटो की गिनती करने का प्रावधान है । उसके बाद एक-एक पैकेट को तोड़कर उसका परीक्षण और शौर्टिंग करके पुन: नोटो को गिनकर पैकेट बनानाइस प्रकार किसी भी पैकेट को 2 बार काउंट करना है । एक-बार पैकेट तोड़ने के पहले और पुन: परीक्षण के बाद पैकेट बनाने के लिए। इस प्रावधान के अनुसार काम करने में एक ही प्रकार की गलती दो बार होने की संभावना नहीं है । इससे प्रमाणित होता है कि श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी ने अपने कर्तव्यपालन में असवधानी बरती ।

पंचिंग रजिस्टर भी जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे जिसके अनुसार पंचिंग का कार्य 11.35 बजे शुरू हुआ और 25 मिनट मे समाप्त हो गया । 12.00 बजे अनुभाग में पंचिंग का कार्य समाप्त होना यह प्रमाणित करता है कि नोटों की स्थिति खराब नहीं थी ।

प्राय: नन् चेस्ट बैंक के नोटो की चेस्ट नोट की अपेक्षा स्थिति अच्छी रहती है । इसे बचाव पक्ष के गवाह श्री गौंतिया ने भी स्वीकार किया है । उस दिन श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी को परीक्षण के लिए दिये गये नोट किसी चेस्ट बैंक के नहीं थे बल्कि यूको बैंक, पटना के डेली टेण्डर नोट थे । अत: नोटो की स्थिति खराब होने का तर्क आधारहीन है ।

इन बिन्दुओं से प्रमाणित होता है कि श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी ने

- अपने कर्तव्य पालन मे असावधानी बरती और इससे बैंक के हित को हानी पहुँचो ।

जाँ.अ. - जाँच की अगली बैठक 22.10.92 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निश्चित की जाती है । उस दिन बचाव पक्ष अपना सारांश प्रस्तुत करेंगे ।

(ललित श्रीवास्तव)
(ललित श्रीवास्तव)
जाँच अधिकारी

(डी.पी. सिन्हा)
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

(अरुण कुमार ओझा)
(अरुण कुमार ओझा)
बचाव प्रतिनिधि

(देवेन्द्र प्रसाद तिवारी)
आरोपित कर्मचारी

टी.

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-।। के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या एमजीआर. 3757/22121-91-92 दिनांक 11.2.92 द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में दिनांक 23.10.92 को हुई जाँच की कार्यवाही.

समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न
स्थान- डीसीओ चेम्बर, डीबीओडी, भा. रि. बैं, पटना

श्री ललित श्रीवास्तव	-	जाँच अधिकारी	-	जा. अ.
" डी.पी. सिन्हा	-	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	-	प्र. अ.
" अरुण कुमार ओझा	-	बचाव प्रतिनिधि	-	ब. प्र.
" देवेन्द्र प्रसाद तिवारी	-	आरोपित कर्मचारी	-	आ. क.

..

जा. अ. - जाँच से संबंधित सभी लोग उपस्थित है अत: अब जाँच की कारवाई शुरू की जाती है. पिछली बैठक में यह तय हुआ था कि बचाव प्रतिनिधि अपना सारांश जाँच की अगली तिथि को प्रस्तु करेगें। आज वे अपना सारांश प्रस्तुत करें ।

ब. प्र. - श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी दिनांक 18.2.91 को बैंक में अपना परीक्षण कार्य के दौरान जब थे तो 5/-रू. के पैकेट मे तीन नोट अधिक रख दिये जो 2.4.91 को सत्यापन अनुभाग में सत्यापित हुआ। तथा उसके आधार पर एमजीआर. 3757/22121-91-92 दिनांक 11.2.92 के आरोप-पत्र द्वारा श्रीतिवारी पर 2 आरोप लगाये गये कि पहला इन्होंने अपने कार्य के दौरान लापरवाही बरती है और दूसरा अपने इस कार्य के द्वारा इन्होंने बैंक के हित को हानी पहुचाई । दिनांक 24.6.92 को हुए जाँच की कार्य के मध्य मे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने आरोपो की पुष्टि के संबंध में दो तर्क प्रस्तुत किया है । ।।। निर्गम विभाग मैन्युअल के चेप्टर-।।। के पैरा 72 मे वर्णित प्रावधान का उल्लेख किया है। तथा उसके आधार पर यह अनुमान लगाया है कि श्री तिवारी ने परीक्षण की प्रक्रिया को ठीक से नहीं अपनाया । प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहते है"यहाँ इस केस मे ऐसा प्रतीत होता है कि मैन्युअल प्रोभिजन के तहत काम नहीं किया गया तथा काम करनी की लापरवाही हुई और बैंक के हित को हानी हुई" यहाँ यह स्पष्ट है कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई स्पष्ट साक्ष्य अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं कर रहे है वरन् केवल हानी जैसी अनुमानो के आधारपर आरोप को पुष्ट करना चाहते है। लेकिन अनमानोके आधार पर किसी तथ्य को पुष्ट करना चाहते है। लेकिन अनुमानो के आधार पर किसी तथ्य को पुष्ट करना ~~प्रसंग~~ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं होगा ऐसा जाँच अधिकारी महोदय से मेरा अनुरोध है।

श्री तिवारी ने आरोप-पत्र के उत्तर मे यह स्पष्ट कहाँ था कि उनके द्वारा जानबूझ कर अपने कार्य मे कोई लापरवाही नहीं बरती गई है तथा बैंक के हितो को कोई हानी नहीं पहुचाई है । जाँच के दौरान यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुका है । जाँच अधिकारी महोदय के समक्ष 5/-रू. का वह पैकेट भी-5 सं.58 तथा सीडी.91 रजिस्टर भी पर्यवेक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया था। उस पैकेट को यहाँ निर्विवाद रूप से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत अनुमानो को पूर्णत: ध्वस्त कर दिया क्योंकि वह पैकेट का स्टीच जिसमें अनेक स्टीच थे तोड़े गये थे

- तथा निर्गम विभाग मैन्युअल मे वर्णित प्रावधानों के अनुकूल हुआ उसका परीक्षण किया गया था। वह पैकेट काफी गंदा तथा खराब नोटो से बना हुआ था जिसमें चिपकने वाले नोट थे। पर्यवेक्षण के लिए प्रस्तुत रजिस्टर से भी यह स्पष्ट हुआ था कि श्री तिवारी के द्वारा इस एक विशेष घटना को छोड़कर बैंक मे आने से लेकर अबतक कोई और लापरवाही नहीं हुई ।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह श्री विश्वजीत गौंतिया ने भी जाँच के समक्ष यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उस दिन उनके टेबुल पर जो नोट परीक्षण के लिए आये उसमें से अधिकांश नोटो की स्थिति ठीक नहीं थी। अत: औसत दर्जे से खराब और चिपकनेवाले थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान भी श्री गौंतिया ने यह स्पष्ट कहा है कि बैंक से आनेवाले डेली टेंडर के नोट भी कभी-कभी कैरेंसी चेष्ट से आनेवाले नोट के समान ही खराब होते है। और उस दिन आनेवाले नोटो की स्थिति खराब ही थे ।

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने दो और तर्क यहाँ भी दिया है कि स दिन पंचिंग का काम अनुभाग में 11.35 बजे शुरू हुआ और 12.00 बजे समाप्त हो गया । इस तर्क के द्वारा किसी भी प्रकार से श्री तिवारी के विरूद्ध आरापो की पुष्टि नहीं होती है। क्यों इसमें कही यह स्पष्ट नहीं है कि श्रीतिवारी नोटो का छिद्रण कितने बजे हुआ। एक ही अनुभाग तथा एक ही टेबुल से और खराब दोनो प्रकार के नोटो का मिश्रण परीक्षण के दौरान पाया जाता है।

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के इस तर्क में भी कोई दम नहीं है। इन्होने तर्क दिया है कि उस दिन अनुभाग मे आनेवाले नोट चेष्ट के नहीं होकर डेली टेंडर नोट थे। श्री गौंतिया ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि डेली टेंडर नोट भी कभी कभी चेष्ट नोट के समान ही खराब और चिपकनेवाले होते है। इसलिए इनका यह तर्क भी खण्डित हो जाता है।

पूरे जाँच कार्य के दौरान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने केवल यही तीन तर्क प्रस्तुत किया है । इन तीन प्रकार से किसी भी प्रकार से श्री तिवारी के विरूद्ध आरोपो की पुष्टि नहीं होती है जबकि जाँच के दौरान प्रस्तुत किये गये नोट के पैकेट सम्बद्ध रजिस्टर और गवाह के बयान से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो गया है कि श्री तिवारी पर लगाये गये आरोप निराधार है।

श्री तिवारी ने अपने कार्य मे जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं बरती है तथा बैंक के हित को किसी भी प्रकार से हानी नहीं पहुचाई है।

श्री तिवारी बैंक मे आने से लेकर अबतक अपना कार्य इमानदारी और निष्ठापूर्वक सम्पादित करते रहे है ।

अंत मे जाँच अधिकारी महोद से मेरा विनम्र आग्रह है कि सम्पूर्ण परिस्थितियों तथा तथ्यों के आलोक में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए श्री तिवारी को आरोप मुक्त करने की कृपा करें ।

जॉ.अ. - आपको इस जाँच के संबंध में कुछ कहना है ।
आ.क.से

आ.क. - जी नहीं.

जाँ. अ. - आज इस जाँच प्रक्रिया को अंतिम रूप से समाप्त की जाती है। इस जाँच कार्य में सहयोग देने के लिए मैं अपनी ओर से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री डी. पी. सिन्हा, बचाव प्रतिनिधि श्री अरूण कुमार ओझा, आरोपित कर्मचारी श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी एवं आशुलिपिक श्री दीपक कुमार सिन्हा को धन्यवाद देता हूँ।

ललित श्रीवास्तव

।ललित श्रीवास्तव।
जाँच अधिकारी

।डी. पी. सिन्हा।
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

।अरूण कुमार ओझा।
बचाव प्रतिनिधि

।देवेन्द्र प्रसाद तिवारी।
आरोपित कर्मचारी

दी.

तार : "रिज़र्विस्ट"
Telegrams : "RESERVIST"

भारतीय रिज़र्व बैंक
पटना--800 001
RESERVE BANK OF INDIA
PATNA—800 001
प्रबंधक अनुभाग

पोस्ट बैग नं० 162
Post Bag No. 162

टेलिफोन पी. बी. एक्स. नं० 655851, 655908
Telephone PBX No. 655765, 655712
655513, 655569
655612, 655663
655816, 655958

कृपया पत्रोत्तर में उद्धृत करें
Please quote in reply :-

संदर्भ सं० : Ref. No.एमजीआर/ 4155 /02.01.03-92/93

12 अप्रैल 1993
22 चैत्र 1915 (शक) (Saka)

D

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी
सामान्य संवर्ग श्रेणी ।।
नकदी विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
पटना ।

[signature] 17/4/93

।द्वारा: कोषपाल, नकदी विभाग, भा. रि. बैंक, पटना।

प्रिय महोदय,

कारण बताओ नोटिस

।संदर्भ:आरोप पत्र संख्या एमजीआर/ 3757 /22।2।-91/92
दिनांक 11 फरवरी 1992।

आपको सूचितकिया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी आपके केस में प्रस्तुत तथ्यों/साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उपर्युक्त आरोप पत्र द्वारा आपके विरुद्ध लगाया आरोप साबित एवं स्थापित हो चुका है । जांच अधिकारी की रिपोर्ट एवं सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्ष की एक एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।

2. सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित दण्ड आप पर लगाने का प्रस्ताव किया है :
"भारतीय रिज़र्व बैंक।स्टाफ।विनियमावली, 1948 के विनियम 47।1।।ग। के साथ पठित विनियम 47।1।।ख। के अनुसार श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी का मूल वेतन रु.1155-55-1320-75-1545-85-1630-90-1720-95-1815-100-2015-115-2130-130-2390-155-2545-175-3245 के वेतनमान में अंतिम आदेश पारित होने की तिथि से छ: माह के लिये उनका वर्तमान वेतन एक प्रक्रम घटा दिया जाये । किन्तु इसके फलस्वरूप उन्हें मिलनेवाली भविष्य की वेतनवृद्धियाँ प्रभावित नहीं होंगी ।"

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध आपको कोई अभ्यावेदन देना है तो उसे आप लिखित रूप में या व्यक्तिगत रूप से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 20 अप्रैल 1993 तक प्रस्तुत कर सकते हैं । यदि उक्त तिथि तक आपका कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो सक्षम प्राधिकारी यह मानकर कि प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध आपको कोई अभ्यावेदन नहीं देना है आगे की कारवाई करेंगे ।

भवदीय

र० हेड़गवें
।रवीन्द्र हेड़गवें।
कार्मिक अधिकारी
अनु:22शीट

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-II नकदी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या एसजीआर. 3757/22(21-91-92 दिनांक 11.2.92 द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में की गयी जाँच के आधार पर जाँच अधिकारी की रिपोर्ट.

...

सक्षम अधिकारी के रूप में प्रबन्धक द्वारा दिनांक 9.3.92 के कार्यालय आदेश संख्या 276 के उनके आदेश के अनुसार मुझे प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैंने श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-II, नकदी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना, को आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी कहा जायेगा, के विरुद्ध दिनांक 11.2.92 के आरोप-पत्र संख्या एसजीआर. 3757/22 (21-91-92) द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में जाँच की ।

श्री डी.पी. सिन्हा, सहायक कोषपाल, नकदी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, जिन्हें इसके बाद प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहा जायेगा ने दिनांक 9.3.92 के कार्यालय आदेश संख्या 276 के अनुसार बैंक की ओर उक्त मामले में प्रस्तुत किया । आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी के पत्र दिनांक 9.6.92 तथा रिज़र्व बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन, पटना के पत्र दिनांक 9.6.92 के अनुसार श्री अरुण कुमार ओझा, सामान्य संवर्ग श्रेणी-II, नकदी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना (जिन्हें इसके बाद बचाव प्रतिनिधि कहा जायेगा) ने आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी की ओर से इस मामले में बचाव पक्ष प्रस्तुत किया ।

2.(1) मौखिक जाँच की छः बैठकें हुईं ।

2.(2) जाँच के दौरान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्थापित करने हेतु आवश्यक प्रमाण देने के लिए परीक्षक दैनिक पुस्तिका (सीडी55), पंचिंग रजिस्टर सीडी.28 तथा आई.डी. मैनुअल के चैप्टर 3 पैरा 72, के प्रावधानों को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया ।

2.(3) आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी ने बचाव प्रतिनिधि ने एक गवाह श्री विश्वजीत गौतिया सामान्य संवर्ग श्रेणी-II, नकदी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना । से प्रश्न पूछे तथा बैंक द्वारा आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को खंडन करने की दृष्टि से 5/-रु. का संबंधित पैकेट, भी.5 संख्या 58, सीडी.91 एवं सीडी.54 रजिस्टर उपलब्ध कराने की माँग की । जिसे उन्हें जाँच के दौरान उपलब्ध कराया गया। उनके मामले में उपसंहार सुनने के बाद मैं जाँच कारवाई को समाप्त करता हूँ ।

3. रिकार्ड में दर्ज गवाह/साक्ष्य तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी/बचाव प्रतिनिधि के उपसंहार विचार करने से पहले मैं इस जाँच से संबंधित मामले एव तथ्यों को प्रस्तुत करता हूँ ।

4. आरोप-पत्र के अनुसार सत्यापन अनुभाग में 2.4.91 को निरस्त नोटों के सत्यापन के दौरान 5/-रु. का एक पैकेट में, जिसपर सील संख्या पीएनएस. दिनांक 18.2.91 अंकित थी, जिसका परीक्षण आरोपित कर्मचारी ने किया था, में 5/-रु. नोट के 3 पीसेस अधिक पाये गये । इस संबंध में आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी पर लगाये गये आरोप नीचे दिये गये हैं ।

5.(1) आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी द्वारा बैंक में कार्य के दौरान असावधानी बरतना, एवं

5.(2) आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी द्वारा इसतरह का कार्य करना जो कि बैंक हित में नहीं था.

6. आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी ने आरोपों के संबंध मे जाँच करने का निर्णय लिया । और तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ विनियमावली 1948 के विनियम 47।3। के अनुसार अंतिम आदेश पारित करने के लिए जाँच करने की आवश्यकता इस रिपोर्ट के पैरा ।।। में संदर्भित आदेश के अनुसार मुझे सौंपी गयी। अब मै अगले अनुच्छेदों मे जाँच के दौरान मेरे समक्ष प्रस्तुत बयान/साक्ष्य की जाँच करता हू ताकि यह विचार किया जा सके कि आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हुआ है या नहीं ।

7. आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी पर पहला यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बैंक मे कार्यरत्त होकर असावधानी बरती । प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने इस संबंध मे आई.डी. मैन्युअल के चेप्टर 3 के पैरा 72 की ओर ध्यान दिलाते हुए जोर दिया कि संबंधित पैकेट को प्रावधानों के अनुसार 2 बार गिनना पड़ता है और एक ही गलती के दो बार होने की संभावना नहीं है। मेरे सामने प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों मे यह साबित होता है कि श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा गणित संबंधित 5/-रु. के पैकेट मे सत्यापन के दौरान 3 पीसेस अधिक पाये गये। उक्त पैकेट जब आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी को दिखाया गया तो उसमें किसी प्रकार की अदलाबदली होने की संभावना पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की थी। बचाव प्रतिनिधि ने अपना पक्षप्रस्तुत करते समय इस बात पर जोर दिया कि आरोपित कर्मचारी का यह प्रथम और जाँच होने तक आखरी गलती है । इससे प्रदर्शित होता है कि आरोपित कर्मचारी सावधानीपूर्वक काम करते रहे हैं। उन्होंने गवाह के प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी साबित करने की कोशिश की आमतौर पर नोट की वस्तुस्थिति ठीक नहीं होने से भी ऐसा हो जाता है। किन्तु उन्होंने संबंधित पैकेट के नोटो के फटे होने की स्थिति के बारे मे कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया। संबंधित पैकेट जो साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत किया गया उसमें नोटों की स्थिति बचाव पक्ष की दलील के अनुसार चिपकनेवाले नोट जैसी नहीं पाई गई । अत: विवादित पैकेट मे 3 अधिक नोट पीसेस का पाया जाना आरोपित कर्मचारी की असावधानी को दर्शाता है ।

8. आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी पर दूसरा यह आरोप है कि उन्होंने जिसतरह से कार्य किया उससे बैंक के हितो को हानी पहुची।जैसा कि ऊपर साबित हो चुका है कि आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी ने 5/-रु. के विवादित पैकेट की गणना में असावधानी बरती थी। नकदी विभाग मे कार्य करते समय इसतरह की असावधानी बैंक के लिए हानीकारक साबित हो सकती है। यद्यपि आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी ने अन्य सभी अवसरों पर अपना कार्य सावधानीपूर्वक करने का प्रमाण दिया है फिर भी इनकी उक्त असावधानी के कारण बैंक के हितो को हानी हुयी ।

निष्कर्ष:

9. श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-।।, के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या एमजीआर. 3757/22।2।-91-92 दिनांक ।।.2.92 द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध मे की गयी जाँच कार-वाई एवं आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी के बचाव प्रतिनिधि तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये सारांश।उपसंहार। से आरोपित कर्मचारी पर लगाये गये आरोप सिद्ध होते है ।

10. जाँच कारवाई का मूल रिकार्ड इसके साथ संलग्न है ।

।ललित श्रीवास्तव।
जाँच अधिकारी

संलग्न......पन्ने.

Received on ..-.-93

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी II,
भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के विरुद्ध निर्गत दिनांक
11.2.1992 के आरोप पत्र संख्या एमजीआर/3757/
22121-91/92 द्वारा शुरू की गयी जाँच कार्रवाई --
जाँच अधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट की प्रस्तुति के
उपरान्त सक्षम प्राधिकारी के जाँच निष्कर्ष

दिनांक 11.2.1992 के आरोप पत्र संख्या एमजीआर/3757/22121-91/92 के अनुसार श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी II पर (i) अपने कर्तव्य के निर्वाह में लापरवाही बरतने तथा (ii) बैंक के हित के प्रतिकूल कार्य करने के आरोप लगाये गये थे।

2. जाँच अधिकारी ने जाँच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 4.2.1993 की अपनी जाँच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि आरोप पत्र प्राप्त कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हो गये हैं।

3. मैंने श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी II के [illegible] विरुद्ध निर्गत दिनांक 11.2.1992 के आरोप पत्र संख्या एमजीआर/3757/22121-91/92 द्वारा लगाये गये आरोपों के संदर्भ में की गयी जाँच कार्रवाई की सम्पूर्ण कार्यवाही तथा दिनांक 4.2.1993 की प्रस्तुत जाँच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट को गौर से पढ़ा है। मैं संतुष्ट हूँ कि जाँच की कार्रवाई विहित प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप चलाई गयी है तथा आरोपित कर्मचारी को जाँच के दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये यथेष्ठ समय प्रदान किया गया है।

4. मैं जाँच अधिकारी के निष्कर्षों, कि आरोपित कर्मचारी पर बैंक द्वारा लगाये आरोप सिद्ध होते हैं, से सहमत हूँ। श्री तिवारी द्वारा नोट परीक्षण अनुभाग "बी" में दिनांक 18.2.1991 को जाँच किये गये (examined) रु.5/- के एक निरस्त पैकेट (साल संख्या पीएनएस) में तीन नोट अधिक सत्यापन के दौरान सत्यापन अनुभाग में पकड़े गये। इससे स्पष्ट है कि श्री तिवारी ने अपने कार्य में लापरवाही बरती एवं बैंक के हितों की अनदेखी की। उनके बचाव प्रतिनिधि के किसी भी तर्क से यह साबित नहीं होता कि उनके द्वारा परीक्षित रु.5/- के पैकेट में तीन नोटों का अधिक पाया जाना उनकी असावधानी का प्रमाण नहीं है।

5. तदनुसार मैं श्री तिवारी को उन पर लगाये गये आरोप का दोषी मानता हूँ।

6. श्री तिवारी द्वारा अपने कर्तव्य के निष्पादन में बरती गयी असावधानी तथा इस प्रकार की असावधानी से बैंक के हितों के संभावित नुकसान या नुकसान की प्रवृत्ति को मद्दे नज़र रखते हुये मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 1948 के विनियम 47(1)(ग) के साथ पठित विनियम 47(1)(ख) के अनुसार श्री तिवारी का मूल वेतन रु.1155-55-1320-75-1545-85-1630-90-1720-95-1815-100-2015-115-2130-130-2390-155-2545-175-3245 के वेतनमान में अंतिम आदेश पारित होने की तिथि से छ: माह के लिये उनका

वर्तमान वेतन एक प्रक्रम घटा दिया जायेगा किन्तु इसके फलस्वरूप उन्हें मिलने-वाली भविष्य की वेतनवृद्धियाँ प्रभावित नहीं होंगी ।

7. मैं निदेश देता हूँ कि मेरे जाँच निष्कर्षों की एक प्रति जाँच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी ।। को तामील की जाये और उन्हें एक सामान्य नोटिस जारी कर जाये कि वे कारण बतायें कि प्रस्तावित दण्ड क्यों नहीं उन पर लगाया जाये ।

(एस. एन. सर्का दुर्रानी)
प्रबन्धक
(सक्षम प्राधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
पटना-800001.

दिनांक: 6 अप्रैल 1993

पटना
26.4.93

सेवा में,
सक्षम प्राधिकारी
(प्रबंधक)
भारतीय रिजर्व बैंक
पटना,
द्वारा कोषपाल, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना

प्रिय महोदय,

विषय : कारण बताओ नोटिस - पत्रांक MGR/[illegible] 4155/02.01.03 - 92/93 दिनांक 12 अप्रैल '93 - अभ्यावेदन

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन करना है कि दिनांक 18.2.91 को जब मैं नकदी परिक्षण अनुभाग में कार्यरत था तो मुझे पाँच रुपये के नोट जाँच के लिए दिए गए थे। दिनांक 2.4.91 को सत्यापन अनुभाग में यह पाया गया कि मेरे द्वारा जाँच किए गए पाँच रुपये के पैकेट में तीन नोट अधिक थे। इस आधार पर MGR-3757/22(2)-91-92 दिनांक 11.2.92 के द्वारा मुझपर यह आरोप लगाया गया कि मैंने अपने कार्य के दौरान लापरवाही बरती है तथा अपने इस कार्य के द्वारा बैंक के हित को हानि पहुंचायी है।

इस सम्बन्ध में घरेलू जाँच की कार्यवाही सम्पन्न हुई जिसमें मेरी ओर से जाँच अधिकारी के समक्ष सम्बद्ध पाँच रुपये का पैकेट कई अन्य अभिलेखों एवं साक्ष्यों तथा एक गवाह को भी प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि मुझपर लगाए गए आरोप आधारहीन थे।

निर्गम विभाग मैनुअल में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ही मैंने नोटों की जाँच की थी तथा किसी प्रकार की कोई लापरवाही मेरे द्वारा जान-बूझकर नहीं की गई थी तथा न ही मेरा उद्देश्य बैंक के हित को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने की थी। चूंकि उस दिन परिक्षण अनुभाग में जाँच के लिए दिए

गए नोटों की स्थिति खराब थी। नोट गंदे एवं चिपकनेवाले थे जिसके कारण सावधानी बरतने के बावजूद भी एक पैकेट में तीन नोट अधिक रह गए। मैंने जान-बूझकर न तो कोई लापरवाही बरती तथा न ही बैंक के हित को किसी भी प्रकार से हानि पहुँचाई।

बैंक में नियुक्ति की अवधि से लेकर आज तक मैं अत्यन्त ही निष्ठा एवं ईमानदारी से अपना कार्य निपटाता रहा हूँ। यह पहली घटना है जब कि मुझपर आरोप पत्र निर्गत हुआ है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे इस अभ्यावेदन पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करते हुए जो दंड प्रस्तावित किया गया है, उसे निरस्त कर दिया जाए। एतदर्थ सदैव आभारी रहूँगा।

भवदीय
देवेन्द्र प्र० तिवारी
(देवेन्द्र प्र० तिवारी)
सामान्य संवर्ग, श्रेणी
नकदी विभाग, डी